

वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 12/04/2015 को वन पंचायत समिति अनापत्ति प्रमाण पत्र के आम बैठक में सर्व सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत कुनिगाड दिवली साधार सीडर अर्थात् राधपुर चौखुदिआ इन् विस्तार मोटर मार्ग जो इस वन पंचायत से होकर गुजर रही हैं उसमें वन पंचायत समिति अनापत्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है जिसमें समिति के निम्न सदस्यो द्वारा यह प्रतिभाग किया गया।

वन पंचायत सदस्य (पंच) अनापत्ति प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर
 12/04/2015
 वन पंचायत समिति अनापत्ति प्रमाण पत्र

1) नि. मथुरा देवी w/o स्व. रामोदर जोशी

2) नि. शिवनीराम S/o स्व. श्री चौपुराम

3) नि. मथुरा देवी S/o स्व. श्री मुन्दरगणी जोशी

4) नि. विपिन चन्द्र S/o श्री. मोहनानन्द जोशी

5) नि. ती. मां धर S/o स्व. श्री. केदारदत्त जोशी

6) नि. जानकी देवी w/o श्री. तिलोक प्रसाद

7) नि. लीला रत्न S/o श्री. लालीराम सभा वैठक

8

1) नि. मथुरा देवी

2) नि. शिवनीराम

3) नि. मथुरा देवी

4) नि. विपिन चन्द्र

5) नि. ती. मां धर

6) नि. जानकी देवी

7) नि. लीला रत्न

12/04/2015
 वन पंचायत समिति अनापत्ति प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर
 वन पंचायत समिति अनापत्ति प्रमाण पत्र

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 6701 / 124(2) दिनांक, अल्मोड़ा 16-05-2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।


विषय— कुनीगाड हिरूली बाजार से रामपुर चौखुटिया मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव सं० 8986/2014)

संदर्भ:— आपकी पत्र सं० 2327/12-1 दिनांक 08.05.2015

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित वन पंचायत कमेटी की अनापत्ति आपको ई-मेल तथा हार्ड कापी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रस्ताव नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करने की कृपा करें।

संलग्न :- यथोक्त।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

o/c